JHARKHAND TRIBAL DEVELOPMENT SOCIETY, RANCHI

(An Autonomous body under Welfare Department, Government of Jharkhand)

IFAD

झारखण्ड सरकार

H-11, 2nd Floor, Above SBI, Harmu Housing Colony, Ranchi - 12 • Ph. No. : 2247057/58/60, Fax : 0651-2247058, E-mail : rch_jtds@sancharnet.in

Letter No. 09/3439 Ranchi/Date : 4/8/09

प्रेषक,

राज्य कार्यक्रम निदेशक
झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी
राँची।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम प्रबंधक
जे.टी.डी.एस. (डी.पी.आई.यू.),
राँची/ चाईबासा।

विषय: <u>निदेशाक मंडल की बैठक की कार्यवाही के कार्यावली संख्या 10 (ख) पर मंतव्य के संबंध में।</u>

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध कहना है कि निदेशाक मंडल की बैठक की कार्यवाही के कार्यावली संख्या 10 (ख) के आलोक में शीघ्रातिशीघ्र आपके डी.पी.आई.यू. अंतर्गत कार्यरत NGO के कार्य प्रदर्शन पर अपनी मंतव्य, पत्र प्राप्ति के 24 घंटों में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

(डॉ० प्रकाश चन्द्र उराँव)

संलग्नक: दिनांक 07.07.09 को निदेशाक मंडल की बैठक की कार्यवाही की प्रति।

E:\PMU document CO\SPD letter\DPM Hindi (LH).docx

दिनांक 07.07.2009 को 4.30 बजे अपराह्न में प्रधान सचिव, कल्याण विभाग की अध्यक्षता में झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची के निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवाही

उपस्थिति:-

1. श्री आदित्य स्वरूप, प्रधान सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष, जे०टी०डी०एस०।
2. श्री बी० सी० निगम, विशेष सचिव, कल्याण विभाग।
3. डॉ० नितिन, मदन कुलकर्णी, आदिवासी कल्याण आयुक्त।
4. डॉ० राजीव अरूण एक्का, उपायुक्त, राँची।
5. डॉ० प्रकाश चन्द्र उराँव, राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे०टी०डी०एस०।
6. श्री श्रवण साय, आयुक्त के सचिव (प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर के प्रतिनिधि)।
7. श्री बालकिशुन मुण्डा, पंचायती राज पदाधिकारी (उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के प्रतिनिधि)
8. श्री इसीदोर सोरेंग, जिला कल्याण पदाधिकारी, (उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के प्रतिनिधि)।
9. श्री सोमा सिंह मुण्डा, सहायक निदेशक, जे०टी०आर०आई० सह मनोनीत सदस्य।
10. श्री गुरूचरण सिंह मुण्डा, मनोनीत सदस्य।

बैठक में उपस्थित सभी आगंतुक सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रधान सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष, जे०टी०डी०एस० द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ एवं संचालन करने का निदेश राज्य कार्यक्रम निदेशक को दिया गया।

उपस्थित सदस्यों के अभिवादन के उपरांत, निदेशक मंडल के बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधान सचिव, कल्याण विभाग के निदेशानुसार राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे०टी०डी०एस० द्वारा कार्यावली में उल्लेखित बिन्दुओं पर चर्चा प्रारंभ की गई।

<u>कार्यावली संख्या: 1</u>

(i) दिनांक 29.04.08 को झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची के निदेशक मंडल की बैठक में निदेशित बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन कंडिका-3 के संदर्भ में जे०टी०डी०एस० द्वारा Exit/ Withdrawal Policy तैयार करने हेतु निदेश दिया गया।

(ii) कंडिका-6(घ) के संदर्भ में जे०टी०डी०एस० कर्मियों के वेतन वृद्धि पर तत्कालीन प्रधान सचिव सह अध्यक्ष, जे०टी०डी०एस० द्वारा दिये गए स्वीकृति को निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया।

कार्यावली संख्या: 2 एवं 3

निदेशक मंडल द्वारा कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए ये निदेश दिया गया कि आदिवासी कल्याण आयुक्त को संक्षिप्त कार्य प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए जिसमें वर्ष 2008-09 में प्रस्तावित लक्ष्य (भौतिक एवं वित्तीय) के विरूद्ध उपलब्धि परिलक्षित हो एवं भविष्य में भी इसी प्रकार के संक्षिप्त प्रतिवेदन बैठकों में उपलब्ध करवाया जाए, आदिवासी कल्याण आयुक्त अपने मन्तव्य से प्रधान सचिव को अवगत करायेंगे। अध्यक्ष महोदय द्वारा पृच्छा की गई कि क्या सभी व्यय नियमानुसार किया जा रहा है। क्या लाभुकों तक कार्यक्रम का सही लाभ पहुँच रहा है। किये गए कार्यों का अंकेक्षण कैसे किया जाता है। कार्यों का अनुश्रवण किस प्रकार होता है।

पृच्छा के आलोक में राज्य कार्यक्रम निदेशक द्वारा बताया गया कि सोसाईटी द्वारा राशि कार्यक्रम ग्रामों के गठित ग्राम सभा को उनके द्वारा समर्पित कार्ययोजना एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के आधार पर उनके खाते में निर्गत/उपलब्ध करा दी जाती है। व्यय की गई राशि का अंकेक्षण प्रधान सचिव सह अध्यक्ष से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म के द्वारा किया जाता है जो सभी ग्राम सभा कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियों तथा स्वयं सहायता समूह के बही-खातों का अंकेक्षण करती है।

कार्यक्रम का मूल्यांकन एग्रीकल्चरल फायनांस कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के द्वारा निरंतर किया जा रहा है जिसका ईफाड द्वारा चयन किया गया है।

इसके अलावा प्रत्येक वर्ष में दो बार ईफाड, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा निरंतर समीक्षा मिशन दल के माध्यम से कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है।

कार्यावली संख्या: 4

तत्कालीन प्रधान सचिव सह अध्यक्ष, जे०टी०डी०एस० द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2009-10 को निदेशक मंडल द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्यावली संख्या: 5

वेबसाईट निर्माण एवं ऑन-लाईन वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निदेशक मंडल ने इस पर संतोष व्यक्त किया साथ ही ये पृच्छा की गई कि इसे कल्याण विभाग/झारखण्ड सरकार के वेबसाईट से लिंक किया गया है या नहीं। राज्य कार्यक्रम निदेशक द्वारा निदेशक मंडल को यह सूचना दी गई कि जे०टी०डी०एस० के वेबसाईट को कल्याण विभाग/झारखण्ड सरकार के वेबसाईट से लिंक कर दिया गया है।

कार्यावली संख्या: 6

ईफ़ाड समीक्षा मिशन दल द्वारा दिये गए सुझाव पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव पर निश्चित समयावधि के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया जिसकी प्रति आदिवासी कल्याण आयुक्त को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। आदिवासी कल्याण आयुक्त अपने मन्तव्य से प्रधान सचिव को अवगत करायेंगे।

कार्यावली संख्या: 7

ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं सीटीजन फाउन्डेशन (एफ०एन०जी०ओ०) द्वारा कार्य से मुक्त करने हेतु अनुबंध समाप्त करने निमित समर्पित आवेदन के संबंध में राज्य कार्यक्रम निदेशक द्वारा निदेशक मंडल को ये सूचना दी गई कि तमाड़ प्रखण्ड के चार सूक्ष्म जलछाजन क्षेत्रों के 10 ग्रामों में कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महिला जागृति समिति एवं क्रेडल संस्थाओं को जिम्मेवारी दी गई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में कार्यरत संस्थाओं के पास लंबित अग्रिम का समायोजन एवं उनके द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन यथाशीघ्र कर लेने का निदेश दिया गया। साथ ही उनके खातों का अंकेक्षण प्रतिवेदन भी प्राप्त कर लेने का निदेश प्राप्त हुआ।

आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा यह सुझाव दिया गया कि एफ०एन०जी०ओ० के संबंध में ये जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि उन्हें किसी जिले में ब्लैक-लीस्टेड (काली सूची) में दर्ज तो नहीं किया गया है। यदि इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है तो वैसे एन०जी०ओ० का एकरारनामा तुरंत रद्द कर दिया जाए।

श्री गुरूचरण सिंह मुण्डा (मनोनीत सदस्य) द्वारा ये सुझाव दिया गया कि एफ०एन०जी०ओ० के चयन के समय क्षेत्रीय एन०जी०ओ० को प्राथमिकता देना श्रेयष्कर होगा जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि क्षेत्रीयता से ज्यादा आवश्यक विश्वसनीयता है जिस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

<u>कार्यावली संख्या: 8</u>

झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी के वित्त एवं प्रशासनिक नियमावली में प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तावित आंतरिक समिति को श्री सजीव लोचन, उप सचिव, कल्याण विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित करने की स्वीकृति दी गई।

<u>कार्यावली संख्या: 9</u>

(क) **झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेन्ट सोसाईटी में कार्यरत कर्मियों के सेवा विस्तार तथा वार्षिक वेतन वृद्धि पर स्वीकृति-** निदेशक मंडल द्वारा कार्यरत कर्मियों के सेवा विस्तार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए ये निदेश दिया गया कि वेतन बढ़ोतरी पर निर्णय कर्मियों के कार्य प्रदर्शन का आकलन के आधार पर किया जाए जिस हेतु कर्मियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आकलन हेतु आदिवासी कल्याण आयुक्त को अधिकृत किया गया जो अपनी अनुसंशा अध्यक्ष महोदय को देंगे जिसके आधार पर वेतन बढ़ोतरी की जाएगी।

(ख) **कर्मियों को देय यात्रा/दैनिक भत्ता के संशोधन के संबंध में:** निदेशक मंडल द्वारा अन्य समकक्ष परियोजनाओं में देय भत्ता से संबंधित जानकारी प्राप्त कर पुनः प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(ग) (i) <u>जीवन बीमा/ग्रेच्यूटि के संबंध में:</u> कर्मियों को मेडिक्लेम सुविधा एवं जीवन बीमा के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अच्छे सरकारी बीमा कंपनियों यथा- भारतीय जीवन बीमा निगम, नेशनल इन्श्योरेंस, न्यू इंडिया इन्श्योरेंस अथवा ओरिएण्टल इन्श्योरेंस, एस० बी० आई० लाईफ इत्यादि से प्रस्ताव प्राप्त कर अध्यक्ष महोदय से यथाशीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(ii) <u>**ग्रेच्यूटि:**</u> कर्मियों को **ग्रेच्यूटि** सुविधा प्रदान करने के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा ये पृच्छा की गई कि क्या ग्रेच्यूटि सुविधा प्रदान करना Mandatory है। साथ ही ग्रेच्यूटि के प्रावधान से संबंधित विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(iii) <u>**आकस्मिक अवकाश:**</u> आकस्मिक अवकाश के प्रावधान को वर्ष में 12 दिन से बढ़ाकर 16 दिन करने पर निदेशक मंडल ने स्वीकृति प्रदान की।

(iii) <u>**क्षतिपूर्ति अवकाश:**</u> प्रस्ताव को तत्काल स्थगित रखा गया।

कार्यावली संख्या: 10

(क) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत किये जानेवाले कार्यों को झारखण्ड आदिवासी विकास कार्यक्रम आच्छादित ग्रामों में जे०टी०डी०एस० के माध्यम से क्रियान्वित करने के संबंध में**- निदेशक मंडल द्वारा ये सुझाव दिया गया कि नरेगा से संबंधित कार्यों के संबंध में संबंधित जिलों के उपायुक्त से वार्ता की जाए।

(ख) **कार्यक्रम अंतर्गत संबद्ध/कार्यरत एन०जी०ओ० के एकरारनामा नवीनीकरण करने के संबंध में**- निदेशक मंडल द्वारा सुझाव दिया गया कि कार्यक्रम अवधि विस्तार से संबंधित पत्र ईफाड से प्राप्त होने के उपरान्त ही एकरारनामा नवीनीकरण किया जाए। इसके पूर्व सभी संबद्ध एन०जी०ओ० के कार्य प्रदर्शन का आकुलन जे०टी०डी०एस० द्वारा कर लिया जाए।

(ग) **समुदाय प्रबंधित संसाधन केन्द्र (Community Managed Resource Center) के संबंध में**- निदेशक मंडल द्वारा समुदाय प्रबंधित संसाधन केन्द्र के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं प्रस्ताव पुनः उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

इस कार्यवाही पर प्रधान सचिव-सह-अध्यक्ष, जे०टी०डी०एस० का अनुमोदन प्राप्त है।

(हस्ताक्षर) 24/7/09
(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव, कल्याण

ज्ञापांक 4/ईफाड-05/09 'अंश' 1815 राँची, दिनांक 23/07/09

प्रति: सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 24/7/09
(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव, कल्याण

(हस्ताक्षर) 22/7